

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/22/2012-अ.भा.से.-।।।

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग की 2008 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य सुश्री नीलिमा को 01.09.2010 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,


भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा)

संख्या 14012/22/2012-अ.भा.से.-।।।
2013

नई दिल्ली, दिनांक मई,

1. पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारी की अतिरिक्त प्रति सहित।
2. महालेखाकार (ए एवं ई), पंजाब, चंडीगढ़।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली। अधिकारी को सीएसई की 2007 में आयोजित परीक्षा के आधार पर आईएस में नियुक्ति दी गई थी।
4. स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी (उत्तराखंड)
6. डेस्क अधिकारी (वेतन), अ.भा.से.-।। अनुभाग, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. ईओ (सीएम) डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
8. एनआईसी (डीओपीटी) को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. गार्ड फाइल


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार